

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ०प्र०,
अनुभाग-5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : जी-226/जी-5-41ए/17

दिनांक : 17 जुलाई 2017

विषय- प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-527/एक-7-2017-रा-2, दिनांक 21.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारित किये जाने के संबंध में है।

2. अवगत कराना है कि ऐसे कृषक जिन्होंने रायुक्त खातों के माध्यम से फसली ऋण लिया है तथा उनकी संयुक्त कृषि भूमि 2 हे० से अधिक है परन्तु उनका हिस्सा संयुक्त खातों में 2 हे० से कम बनता है, ऐसे कृषक ऋणमोचन योजना के पात्र होंगे, किन्तु सम्बन्धित किसान को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसके पास संयुक्त खातों की भूमि को सम्मिलित करके कुल कितनी भूमि है, यदि कृषक के पास किसी अन्य ग्राम अथवा जिले में कोई अन्य कृषि भूमि है तो उसे इस भूमि व इस भूमि में अपने अंश का अपने शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा, जिससे कि उसके पास उपलब्ध कुल कृषि भूमि के अंश का निर्धारण राजस्व कर्मियों द्वारा किया जा सके।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंश निर्धारण हेतु बैंक से सूची प्राप्त कर तत्पश्चात् संयुक्त कृषक की भूमि के सम्बन्ध में लेखपालों द्वारा सम्बन्धित कृषक की भूमि की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी और राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल की रिपोर्ट तथा ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों के परामर्श एवं स्थानीय जांच के आधार पर शत-प्रतिशत अंश का निर्धारण किया जायेगा। इस अंश निर्धारण का 10 प्रतिशत सत्यापन नायब तहसीलदार, 5 प्रतिशत तहसीलदार एवं 2 प्रतिशत उपजिलाधिकारी द्वारा रैण्डम आधार पर किया जायेगा। अंश निर्धारण एवं सत्यापन की रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम सम्बन्धित बैंकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(भीष्म लाल वर्मा)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि :-

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-7, लखनऊ को सूत्रानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीष्म लाल वर्मा)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव